भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स जैन एनर्जी लिमिटेड, ग्राम–बालपुर के समीप, जिला–कोरबा एवं जॉजगीर चांपा (छ.ग.) में प्रस्तावित 4x300 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन हेतु तहसील–करतला, जिला–कोरबा के अंतर्गत आने वाले ग्राम–उमरेली, दर्राभाठा, अमलडीहा एवं टुण्डा की दिनांक 28.04.2010, दिन–बुधवार, स्थान–ग्राम पंचायत परिसर, उमरेली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स जैन एनर्जी लिमिटेड, ग्राम–बालपुर के समीप, जिला–कोरबा एवं जॉजगीर चांपा(छ.ग.) में प्रस्तावित 4x300 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन हेतु तहसील–करतला, जिला–कोरबा के अंतर्गत आने वाले ग्राम–उमरेली, दर्राभाठा, अमलडीहा एवं टुण्डा की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् अपर कलेक्टर, कोरबा की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 28.04.2010, दिन–बुधवार को ग्राम पंचायत परिसर, उमरेली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा में प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री एम.एम. राशिद, वाईस प्रेसीडेंट(पावर प्रोजेक्ट), मेसर्स जैन एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मेसर्स जैन एनर्जी लिमिटेड, ग्राम–बालपुर के समीप, जिला–कोरबा एवं जॉजगीर चांपा(छ.ग.) में प्रस्तावित 4x300 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन हेतु तहसील–करतला, जिला–कोरबा के अंतर्गत आने वाले ग्राम–उमरेली, दर्राभाठा, अमलडीहा एवं टुण्डा की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् आयोजित लोक

सुनवाई में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 27.04.2010 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 01 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दिनांक 28.04.2010 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 92 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल 93 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 06 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं :–

1. विद्युत संयंत्र स्थापित होने से ग्राम उमरेली के आसपास का 10–15 कि.मी. तक का वातावरण पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित धुंआ, धूल, डस्ट एवं राखड़ से प्रदूषित हो जायेगा, जिससे कई बिमारियॉ होगी?
2. विद्युत संयंत्र स्थापित होने से आसपास के ग्रामों का जल दूषित हो जायेगा जिससे दैनिक उपयोग के लिए शुद्ध जल न मिलने के कारण अनेक बिमारियॉ एवं समस्याएॅ उत्पन्न होगी।
3. उमरेली ग्रामवासी जैन एनर्जी पावर प्लांट को ग्राम उमरेली में स्थापित करने के लिए अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं देना चाहते हैं।
4. उद्योग प्रबंधन द्वारा विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु जिस कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है वह दो फसली जमीन है। उक्त भूमि के अधिग्रहण से ग्रामीणों के जीवकोपार्जन का आधार ही समाप्त हो जायेगा।

5. कोरबा जिले को सबसे अधिक प्रदूषित शहर के श्रेणी में 5 वें स्थान पर नामित किया गया है। उक्त पावर प्लांट खुलने से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी।

6. वाहनों के आवाजाही से ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी।

7. विद्युत संयंत्र के स्थापित होने से आसपास की शेष भूमि बंजर हो जायेगी।

8. पावर प्राजेक्ट स्थापित होने से जहरीली गैसों का उत्सर्जन कोयले एवं ईंधन की खपत से होगा। ईंधन, मिथेन, कार्बन डाय आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड जैसी जहरीली गैसें मानव श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़े को प्रभावित करेंगी साथ ही जहरीली गैसों के उत्सर्जन से ओजोन परत क्षतिग्रस्त होगा।

9. पावर प्लांट के खुलने से कृषि भूमि का रकबा कम होगा तथा खाद्यान्न संकट बढ़ेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा।

10. उद्योग मुख्यतः कोयले पर आधारित है जिससे भारी मात्रा में राख उत्पन्न होगी, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा।

11. उद्योग के स्थापना होने से अन्य प्रांतों के ठेकेदार एवं कामगारों का आवागमन होगा जिससे ग्राम उमरेली के आसपास की सामाजिक, सांस्कृतिक सौहार्द्र दूषित होगा।

12. उद्योग की स्थापना से पूर्व से स्थापित पेड़ पौधों के कटने से बहुत नुकसान होगा, जिसकी भरपाई तत्काल में संभव नहीं हो पायेगी।

13. उद्योग के खुलने से आसपास के समस्त ग्रामों का पर्यावरण प्रदूषित हो जायेगा।

14. TOR के पैरा–1 के अनुसार EIA Report के पेज–188 में बताया गया है कि प्रस्तावित साईट में उपयोग की जाने वाली 80 प्रतिशत भूमि तथा 20 प्रतिशत Semi Agriculture land हैं। वही आपके के पैरा 5 के अनुसार पेज–E-II-6 Table 3.3 में बताया गया है कि प्रस्तावित साईट में 418 हेक्टेयर (1032 एकड़ भूमि) है जो कि कुल भूमि का 99 प्रतिशत है।

15. प्रस्तावित परियोजना हेतु किस–किस ग्राम से कितनी–कितनी भूमि ली जानी है उसकी जानकारी EIA Report में क्यों नहीं दी गई है?

16. TOR के पैरा–1 के अनुसार पेज–22 में प्रस्तावित संयंत्र के आवश्यकतानुसार आवश्यक भूमि का विवरण दिया गया है। परंतु विवरण में आपने उक्त संयंत्र हेतु कोल परिवहन हेतु उपयोग की जाने वाली रोड या रेलमार्ग हेतु आवश्यक भूमि तथा ROW के हेतु बिछाई जाने वाली पाईप लाईन जिसकी लंबाई 40 कि.मी.(EIA Report के पेज 25–26) है उपरोक्त के लिए कुल कितनी भूमि आवश्यक होगी नहीं बताई गई है?

17. TOR के पैरा–8 के अनुसार पेज 117 में उपरोक्त क्षेत्र में होने वाले रोड डायवर्सन का कोई भी विवरण क्यों नहीं दिया गया है?

18. विद्युत संयंत्र में उपयोग की जाने वाली कोयले के विभिन्न तत्वों का विवरण दिया गया है परंतु यह नहीं बताया गया है कि उपरोक्त आंकड़े किस ग्रेड के कोयले में है।

19. TOR के पैरा–16 के अनुसार पेज–23 में बताया गया है कि उद्योग को कोयला MCL या SECL की खदानों से आयेगा जबकि उपरोक्त पैरा के अनुसार Confirmed Fuel Linkage Should Provided करने हेतु कहा गया था परंतु आपको आज दिनांक तक आपको लिंकेज प्राप्त नहीं हुआ है।

20. R & R Plan Compensation Package विवरण देने को कहा गया था, किंतु उन ग्रामों का विवरण नहीं दिया गया है, जहॉ से जमीन अधिग्रहित की जा रही है।

21. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट स्थानीय भाषा(हिन्दी) में उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि ग्रामीण परिक्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत न्यूनतम है।

उपरोक्त समस्त चिंताओं की टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में संस्थान के महाप्रबंधक, मेसर्स जैन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रदान की गई :–

1. उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जावेगा, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उच्च क्षमता के ई.एस.पी. स्थापित किये जायेंगे एवं चिमनी की ऊँचाई 275 मीटर रखी जायेगी। राख संग्रहण हेतु राखड़ बांध का निर्माण करते हुए दूषित जल का उपयोग प्रक्रिया में किया जाकर निर्धारित मानकों का पालन किया जायेगा।

2. उद्योग निस्सारण न्यूनतम रखे जाने हेतु प्रतिबद्ध है। विद्युत उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता का अधिकांश भाग प्रक्रिया में पुनर्उपयेाग किया जायेगा, जिससे जल की खपत कम होगी। उद्योग से निस्सारित दूषित जल को उपचारोपरांत वृक्षारोपण में सिंचाई एवं प्रदूषणकारी स्त्रोतों में जल छिड़काव हेतु किया जायेगा। दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार प्रणाली स्थापित की जायेगी एवं उपचारोपरांत जल का निस्सारण परिसर के बाहर किया जायेगा एवं आसपास के ग्रामों का जल प्रदूषित नहीं होगा।

3. संयंत्र की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी। संयंत्र की स्थापना से होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक लाभ से क्षेत्र के साथ–साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आवश्यक होगी। उद्योग द्वारा सब–क्रिटीकल तकनीक के स्थान पर सुपर क्रिटीकल तकनीक अपनाये जाने पर प्रयासरत है जिससे भूमि की आवश्यकता कम होगी एवं प्रदूषण की मात्रा में अल्पता आयेगी।

4. संयंत्र की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी। भू–विस्थापित ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार एवं उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्राथमिकता के आधार पर प्रदाय किया जायेगा। संयंत्र की स्थापना एवं संचालन के दौरान अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग की स्थापना

के दौरान औसतन 3500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे। इनके साथ–साथ उद्योग इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उद्योग द्वारा सब–क्रिटीकल तकनीक के स्थान पर सुपर क्रिटीकल तकनीक अपनाये जाने पर प्रयासरत है, जिससे भूमि की आवश्यकता कम होगी एवं प्रदूषण की मात्रा में कमी आयेगी।

5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की कार्यालयीन विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2010 के अनुसार 5 वॉ सबसे अधिक दूषित शहर "Industrial areas and their townships of NTPC, BALCO, CSEB (East) & CSEB (West) and Korba Town" सम्मिलित है तथा प्रस्तावित संयंत्र की आकाशीय दूरी कोरबा शहर से लगभग 30 कि.मी. है एवं वायुप्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जावेगा, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके अंतर्गत चिमनी की ऊँचाई 275 मीटर रखी जावेगी, उच्च क्षमता का ई.एस.पी., न्यूनतम NOx बर्नर, राखड़ बांध इत्यादि का निर्माण किया जायेगा एवं निर्धारित मानकों का पालन किया जायेगा।

6. उद्योग प्रबंधन द्वारा कोयले की आपूर्ति रेल लाईन के माध्यम से की जायेगी। अस्थाई परिस्थितियों में यदि सड़क मार्ग का उपयोग करना पड़ा तो न्यूनतम प्रदूषण हो इसका ध्यान रखा जायेगा।

7. प्रश्न आधारहीन है। विभिन्न विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात अध्ययन एवं आंकड़ो से यह सिद्ध है कि वहॉ के आसपास के जमीनों में स्वस्थ एवं अच्छी फसल हुई और उससे किसान भी खुश हैं। किसी भी फसल की उपज कम नहीं हुई है। अतएव आसपास की भूमि पर उद्योग की स्थापना से दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. जैसे के पूर्व में कहा गया है कि उद्योग द्वारा उच्च दक्षता एवं क्षमता का प्रदूषण नियंत्रण स्थापित किये जायेंगे। जो मुख्य तीन पॉल्यूटेंट्स उद्योग से उत्सर्जित होंगे वे फ्लाई एश, NOx एवं SO2 है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण से इनकी मात्रा उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित मानकों के अंदर ही रहेगी। कार्बन मोनो आक्साईड के उत्सर्जन की संभावना इन बॉयलरों में वास्तविक में शून्य है। इथेन और मीथेन गैस का उत्सर्जन इस संयंत्र से नहीं होगा। इस सारी गैसों से ओजोन परत को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। कार्बन डाई आक्साईड प्रदूषणकर्ता गैस नहीं है किंतु ग्लोबल वार्मिंग में अहम भूमिका निभाता है। हालाकि क्यूटो अनुबंध में भारत का Annex-1 में आता है पर भारत को Fossil Fuel के उपयोग करने से मना नहीं किया गया है।

9. संयंत्र की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी। भू–विस्थापित ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार एवं उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा। संयंत्र की स्थापना एवं संचालन के दौरान अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग की स्थापना के दौरान औसतन 3500 लोगों को रोजगार के आवसर प्राप्त होंगे। इनके साथ–साथ उद्योग इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उद्योग द्वारा सब–क्रिटीकल तकनीक के स्थान पर सुपर क्रिटीकल तकनीक अपनाये जाने पर प्रयासरत है, जिससे भूमि की आवश्यकता कम होगी एवं प्रदूषण की मात्रा में कमी आयेगी। खाद्यान्न संकट एक विस्तृत मुद्दा है। संयंत्र की स्थापना के कारण खाद्यान्न संकट में जो कमी आयेगी वह उस जिले के स्तर पर नगण्य है।

10. उद्योग प्रबंधन द्वारा फ्लाई एश प्रबंधन योजना भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किया जावेगा जिसके

अंतर्गत फ्लाई एश का उपयेाग सीमेंट निर्माणकारी इकाईयों, ईंट निर्माणकारी इकाई, निष्क्रीय घोषित खदानों के पुनर्भरण तथा सड़क निर्माण इत्यादि कार्यों में उपयेाग किया जायेगा। इस सब कार्यों से स्पष्ट है कि लोगों के जीवन पर संयंत्र का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. उद्योग की नीतिनुसार संयंत्र की स्थापना हेतु ठेकेदारों एवं कामगारों के चयन में योग्यतानुसार सर्वप्रथम स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी उसके पश्चात् राज्य के लोगों को और उसके पश्चात् बाहरी लोगों को दिया जायेगा। ऐसे कई परियोजनाएॅ भारत में स्थापित की गई है जिनका दुष्प्रभाव वहॉ के स्थानीय लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सौहार्द्र पर नहीं पड़ा है।

12. विद्युत संयंत्र की स्थापना में आवश्यकता पड़ने पर ही वृक्षों को काटा जायेगा। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार संयंत्र की स्थापना में लगने वाली कुल भूमि के एक तिहाई हिस्से में ऐसे वृक्षारोपण किया जायेगा जिनमें प्रदूषण कम करने की क्षमता के साथ–साथ उनकी अपनी एक सामाजिक महत्ता हो। संयंत्र स्थापना के दौरान जिन पेड़ों की कटाई होगी इनसे न केवल उन पेड़ों की भरपाई होगी बल्कि उस क्षेत्र के पारिस्थितकीय संतुलन एवं पर्यावरणीय सौंदर्य में महत्वपूर्ण उत्थान होगा। संयंत्र की स्थापना के प्रारंभ से ही हरित पट्टी के विकास का कार्य आरंभ कर दिया जायेगा।

13. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पूर्व में दिया जा चुका है।

14. पृष्ठ–188 की जानकारी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में से ली गई थी जो येाजना के प्रारंभिक काल में तैयार की गई थी। ई.आई.ए. अध्ययन एवं अन्य अध्ययन के दौरान जो सूचना सक्षम अधिकारी एवं उपग्रह चित्र के द्वारा मिली है उस आधार पर टेबल–3.3 पेज E-II-6 में प्रस्तुत की गई है।

15. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में सूचना प्रस्तुत की गई है, जो जानकारी चाही गई है वह सामान्यतः SEIA रिपोर्ट एवं R&R एक्शन प्लान में प्रस्तुत की जाती है।

16. सर्विस कोरिडोर हेतु प्रयोग की जाने वाली भूमि के बारे में Clause 2.6 पेज 22 में भूमि आवश्यकता के अंदर समाहित की गई है। जो कि 124 एकड़ है जिनमें ROW के हेतु बिछाई जाने वाली पाईप लाईन, रेल साईडिंग एवं रोड कनेक्शन सम्मिलित हैं।

17. रोड डायवर्सन की आवश्यकता नहीं होगी। इसका स्पष्ट उल्लेख पैरा–2 पेज 117 में लोकल इन्फास्ट्रक्चर के अंदर किया गया है।

18. कोयले हेतु संबंधित अधिकारी से प्राप्त हुई विश्लेषण रिपोर्ट को ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। हमारे अनुभव के आधार के अनुसार यह कोयला E या F श्रेणी के अंतर्गत आता है। योजना के प्रारंभिक चरण में उपयोगकर्ता के लिए कोयले की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है।

19 उद्योग द्वारा कोल लिंकेंज हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है और आशा है कि लिंकेंज की अनुमति शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी।

20 विस्तृत छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति अनुसार प्रतिवेदन तैयार कर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं जिला प्रशासन को प्रस्तुत कर दी गई है। जो जानकारी चाही गई वह उपरोक्त रिपोर्ट में समाहित है। चाही गई जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

21. संक्षिप्त कार्यपालिक सार के हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति उपलब्ध करा दी गई थी ताकि जिन ग्रामीण परिक्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत न्यूनतम है उनके

अध्ययन हेतु सुविधा हो सके। जो भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

दिनांक 28.04.2010 को आयोजित लोक सुनवाई की समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई है।

लोक सुनवाई में लिखित में प्राप्त कुल 93 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ, लोक सुनवाई के दौरान 06 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो फिल्म (असंपादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)